कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट न्यायालयों के परिवर्तित होने व रिक्त न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त ग्राम न्यायालय रामनगर व सिरौली गौसपुर, बाराबंकी के सम्बंध में पारित प्रशासनिक आदेश दिनांकित 13-09-2023 को छोड़कर पूर्व में मजिस्ट्रेट, न्यायालयों के कार्य वितरण के सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी करते हुए मजिस्ट्रेट, न्यायालयों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

जनपद बाराबंकी में स्थित थानों से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद, घरेलू हिंसा एवं अन्य अधिनियम के अधीन संस्थित वादी के सुनवायी का क्षेत्राधिकार (न्यायालय रामनगर व सिरौली गौसपुर, बाराबंकी की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले राजस्व ग्राम/ग्राम के फौजदारी वादों के दो साल तक की सजा के प्रकरण, बीस हजार रूपयों तक के चोरी के प्रकरण तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को छोड़कर) दिनांक 21-11-2023 से निम्नवत रहेगा-

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-18, बाराबंकी।

i. थाना कोतवाली नगर, थाना कोतवाली फतेहपुर, थाना जैदपुर के पुलिस चालानी वाद ।
ii. आबकारी अधिनियम के तहत समस्त विभागीय चालानी।
iii. ए० आर० टी० ओ० चालानी (जो टैक्स से सम्बन्धित नहीं है)।
iv. भा० दे० सं० की धारा-302 व 304 बी के अन्तर्गत संस्थित होने वाले समस्त थानों से सम्बन्धित सभी प्रकार के वाद।

2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-17, बाराबंकी।

कोतवाली देवां, थाना कोतवाली हैदरगढ़, थाना मसौली एवं थाना कोठी के पुलिस चालानी बाट।
ए० आर० टी० ओ० चालानी (टैक्स से सम्बन्धित) इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वाद।

3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-19, बाराबंकी।

थाना सफदरगंज, थाना लीनीकटरा, जहांगीराबाद में थाना बड्डूपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद।

4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-25, बाराबंकी।

थाना दरियाबाद, थाना टिकैतनगर व थाना रामसनेही घाट, से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद।

5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-16, बाराबंकी।

थाना सतरिख एवं थाना कुर्सी से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद।

6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-11, बाराबंकी।

थाना रामनगर एवं थाना जी०आर०पी० से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व थाना फतेहपुर बाराबंकी से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वाद।

7. सिविल जज (सी० डिQ) F.T.C. / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-38, बाराबंकी।

थाना मोहम्मदपुर खाला से सम्बन्धित पुलिस बलानी वाद व थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी व थाना जैदपुर, बाराबंकी से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वाद।

8. अपर सिविल जज(जु० डि०)/F.T.C. कोर्ट नं०-43 (महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराध)

थाना असन्द्रा, महिला थाना एवं घुंघटेर से सम्बन्धित पुलिस चलानी याद।

9. अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं०-39 बाराबंकी।

थाना बदोसराय से सम्बन्धित पुलिस चलानी वाद व थाना पटरंगा, मवई एवं रुदौली से सम्बन्धित पुराने लम्बित वाद।

10. सिविल जज (जु० डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-24 हैदरगढ (दूरस्थ न्यायालय)

थाना सुबेहा के समस्त पुलिस चालानी वाद व थाना हैदरगढ़ व थाना कोठी के परिवाद। थाना लोनीकटरा से सम्बन्धित परिवाद जो पूर्व से आज आदेश पारित की तिथि तक लम्बित है, उन्हीं वादो के सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता होगी।

दिनांक 01-04-2017 से थाना कोतवाली हैदरगढ़ से सम्बन्धित सम्मन ट्रायल वादो की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता पूर्व की भांति ही न्यायालय सिविल जज (J.D.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-24. हैदरगढ़ बाराबंकी को यथावत रहेगी।

"मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वादो की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता ऊपर पारित आदेश के अनुसार होगी तथा अन्य धानों से सम्बन्धित परिवाद व घरेलू हिंसा के वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित थानों की पुलिस चालानी की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालयों **(थाना लोनीकटरा से सम्बन्धित परिवाद जो पूर्व से आज आदेश पारित की तिथि तक लम्बित है तथा धाना हैदरगढ़ व थाना कोठी को छोड़कर)** के पीठासीन अधिकारियों की होगी।"

................................शेष पेज 2 पर...........

विशेष अधिनियम से सम्बन्धित वादो की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता निम्नवत होगी–

i. गौवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्चित न्यायालयों की होगी।

ii. लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादी की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

iii. वन अधिनियम व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

iv. वन विभाग द्वारा किये गये समस्त विभागीय चालान के बादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–19 की होगी।

v. घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित संस्थित होने वाले वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर(उपर पारित आदेश के अनुसार) सभी थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

vi. राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार "केवल धारा–156(3) दं० प्र० सं० के प्रार्थना–पत्र को छोड़कर" पुलिस थाना अनुसार सम्बन्धित न्यायालयों को होगा।

vii. सी० बी० सी० आई० डी० से सम्बन्धित सारे आपराधिक मामलो (302 व 304 बी भा० द० सं० सहित) की सुनवायी का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य नायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–17, बाराबंकी, के न्यायालय का होगा।

viii. सहकारी समितियों के गबन के मामलों (धारा–406, 408, 409, 420, 120 ख, 467, 471 भा०दं०सं० से सम्बन्धित) की सुनवायी का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–17 का होगा।

ix. यातायात से सम्बन्धित चालानी की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, धाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता बाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

x. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–16510/VIIe–27/Admin. (A–3): Allahabad:Dated: 03–12–2015 के अनुपालन में धारा 138 Negotiable Instrument Act. से सम्बन्धित वादों की सुनवाई एक ही न्यायालय पर होनी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के अनुपालन में धारा 138 Negotiable Instrument Act. से सम्बन्धित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार (आज तक लम्बित वादो को छोडकर) सिविल जज (सी० डि0) F.T.C. / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–38, बाराबंकी का होगा।

उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट अधिनियम से सम्बन्धित वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को होगा, लेकिन आज दिनांक तक अन्य विशिष्ट अधिनियम के जो वाद जिस न्यायालय में लम्बित है वे उसी न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथावत बने रहेंगे।

सम्बन्धित कार्यालय लिपिकगण पत्रावलियाँ सम्बन्धित न्यायालय को आदेश प्रभावी की तिथि से भौतिक रूप से तथा C.I.S. के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(शिवानी रावत)
सी० जे० एम० बाराबंकी
21–11–2023

प्रतिलिपि–

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 17, बाराबंकी।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 19, बाराबंकी।
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० 25, बाराबंकी।
5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 16. बाराबंकी।
6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट न० 11, बाराबजी।
7. सिविल जज (सी० डि०) F.T.C./ अपर मुख्य न्याकि मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–38, बाराबंकी।
8. सिविल जज (जू० डि०)/F.T.C. न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ०–43. बाराबंकी।
9. अपर सिविल जज (जू० डि०) कोर्ट नं०–39, बाराबंकी।
10. सिविल जज (जू० डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–24, हैदरगढ़, बाराबंकी।
11. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, बाराबंकी।
12. अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन, बाराबंकी।
13. अधीक्षक जिला कारागार, बाराबंकी।
14. कम्पयूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, बाराबंकी।
15. कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

सी० जे० एम०, बाराबंकी।
21–11–2023